बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक– 28.6.16

संख्या–12/नि0–1009/10–सा0प्र0– 9131 / दिनांक 22.6.2016 को **मंत्रिपरिषद** की बैठक में मद संख्या–7 के रूप में स्वीकृति प्रदान किये जाने के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि में वरीय उप समाहर्त्ता एवं विशेष कार्य पदाधिकारी के 402 पद तथा अपर समाहर्त्ता/समकक्ष स्तर में विशेष कार्य पदाधिकारी के 30 पद यानी कुल 432 पदों के अस्थायी रूप से सृजन से संबंधित विभागीय राज्यादेश सं0 3983 दिनांक 03.5.2010 एवं 8487 दिनांक 30.08.2010 तथा उनके अवधि विस्तार से संबंधित राज्यादेश सं0 14187 दिनांक 30.08.2013 के साथ अनुलग्न व्यय विवरणी में विशेष वेतन हेतु आकलित राशि रू0 500/– (रू0 पाँच सौ मात्र) प्रतिमाह से संबंधित कॉलम को आदेश निर्गत की तिथि से विलोपित किया जाता है ।

2. C.W.J.C. No. 2259/2014 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक 06.01.2016 को पारित आदेश के आलोक में उपर्युक्त राज्यादेशों द्वारा अस्थायी रूप से स्वीकृत पदो के लिए अनुलग्न व्यय विवरणी में विशेष वेतन हेतु आकलित राशि रू0 500/–(रू0 पाँच सौ मात्र) प्रतिमाह का दिनांक 03.05.2010 से इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि तक की अवधि के लिए भुगतान की स्वीकृति दी जाती है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/28.06.16
(विजय मोहन नागपटनी)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–12/नि0–1009/10–सा0प्र0– 9131 /पटना, दिनांक– 28.6.16

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषागार/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइड पर डालने हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा–2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/28.06.16
सरकार के अवर सचिव